फा.सं. 11013/07/2017-हि.का.क.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

....

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः आर्थिक विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना (वर्ष 2017-18)

आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। पुरस्कार योजना में सामान्य अर्थव्यवस्था, बजट प्रक्रिया, लोक वित्त, विदेशी सहायता एवं ऋण, मुद्रा एवं सिक्का, पूंजी बाजार आदि विषयों पर लिखी पुस्तकों/टंकित पाण्डुलिपियों पर विचार किया जाएगा। योजना की विस्तृत रूपरेखा निम्नानुसार हैः

1. योजना का उद्देश्यः निर्धारित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन प्रदान करना।

2. विषयः आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे सामान्य अर्थव्यवस्था, बजट प्रक्रिया, लोक वित्त, विदेशी सहायता एवं ऋण, करेंसी, पूंजी बाजार आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन या इन विषयों से संबंधित विकास या शोध प्रबंधन।

3. पात्रताः इस योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग व इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत लिखी पुस्तकें/टंकित पांडुलिपियां मूलरूप से हिंदी में लिखी होनी चाहिए। किसी अन्य भाषा से अनूदित साहित्य पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. पुरस्कार की राशिः इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे:

(i) प्रथम पुरस्कार (एक) - ₹50,000/-;
(ii) द्‌वितीय पुरस्कार (एक) - ₹40,000/-; और
(iii) तृतीय पुरस्कार (एक) - ₹30,000/-

(5) मूल्यांकनः

(i) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों/टंकित पांडुलिपियों पर पुरस्कार का निर्णय करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। इसके अध्यक्ष, अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे तथा विभिन्न विषयों से संबंधित संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के दो या तीन विशेषज्ञ अधिकारी इसके सदस्य होंगे। निदेशक (राजभाषा) इसके सदस्य-सचिव होंगे;

(ii) मूल्यांकन समिति की बैठक में सदस्यों द्‌वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और पुरस्कारों का निर्णय लिया जाएगा; और

(iii) मूल्यांकन समिति की बैठक में विधिवत् निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

6. पुस्तक/टंकित पांडुलिपि के लेखन काल की अवधिः इस योजना के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक/टंकित पांडुलिपि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान प्रकाशित/लिखी होनी चाहिए। पुस्तक/टंकित पांडुलिपि 31 अगस्त, 2018 तक निदेशक (राजभाषा), आर्थिक कार्य विभाग के पास अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

7. सामान्य शर्तें: योजना में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगाः

(i) योजना में केवल उन पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा जो मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हों। किसी अन्य भाषा में लिखित या पूर्व-प्रकाशित पुस्तक का हिंदी अनुवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(ii) योजना के अधीन प्रकाशित पुस्तक और टंकित पाण्डुलिपि दोनों ही स्वीकार की जाएंगी। लेखकों द्वारा पुस्तक/टंकित पाण्डुलिपि निर्धारित अवधि के दौरान लिखित/प्रकाशित होनी चाहिए;

(iii) लेखक संलग्न प्रपत्र में अपने आवेदन पत्र के साथ पुस्तक/टंकित पाण्डुलिपि की पांच प्रतियां निदेशक (राजभाषा), कमरा नं. 238बी, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, (दूरभाषः 011-23095070) को निर्धारित तारीख तक भेज दें। प्राप्त पुस्तक/टंकित पाण्डुलिपि को लौटाया नहीं जाएगा;

(iv) निर्धारित तारीख के पश्चात प्राप्त पुस्तकों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। डाक में खो जाने एवं देर से प्राप्त होने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी नहीं होगा;

(v) आवेदन पत्र के साथ आवेदनकर्ता को पासपोर्ट आकार के दो फोटो भेजने होंगे;

(vi) पुरस्कृत पुस्तकों पर लेखकों का कॉपीराइट बना रहेगा;

(vii) पुस्तक किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत नहीं लिखी गई हो;

(viii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल आर्थिक कार्य विभाग को दी जाए;

(ix) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे;

(x) यदि पुस्तक/टंकित पाण्डुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की धनराशि उनमें बराबर बांट दी जाएगी;

(xi) आर्थिक कार्य विभाग को इस योजना में संशोधन करने का, पुरस्कृत व्यक्तियों के चयन और इस प्रकार के चयन को विनियमित करने का अनन्य अधिकार होगा;